



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39374

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6597/2026

जंग बहादुर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रमेश चंद्र अग्रहरि

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी कर यह आदेश एवं निर्दिष्ट करने हेतु दायर की गई है कि वे प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें, जो गाटा संख्या 932-जी.ए., क्षेत्रफल 0.069 हेक्टेयर, जो भीटा के रूप में अभिलिखित है, पर जबरन बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा जो अनुतोष मांगा गया है, वह निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6, अर्थात् रवींद्र और वीरेंद्र, के विरुद्ध है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष चाहता है, जो रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुदत्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता और उचित उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत उपलब्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका इस स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है कि यदि उचित समझा जाए तो याचिकाकर्ता सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार का सहारा ले सकता है।

18 फ़रवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।